विश्वविद्यालय 'कार्यपरिषद' की चतुर्थ बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 (बुधवार) का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय 'कार्यपरिषद्' की चतुर्थ बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 'होटल ग्रेट वैल्यू, राजपुर रोड, देहरादून' के सभाकक्ष में प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान, मा0 कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित महानुभावों ने प्रतिभाग किया :–

1. प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. प्रो0 एच0सी0नैनवाल, प्रति कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. डॉ0 बी0एस0 बिष्ट, कुलपति, गोविन्द वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज, पंतनगर।
4. श्री राकेश शर्मा, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री एल0एम0 पंत, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. श्री राम सिंह, प्रमुख सचिव (न्याय), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. डॉ0 डी0एस0 पुण्डीर, प्राचार्य, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।
8. डॉ0 (कर्नल) जे0एस0 विर्क, प्राचार्य, गोविन्द वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी।
9. श्री भूपेश चन्द्र तिवारी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
10. चन्द्र सिंह मेहता, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।

बैठक का शुभारंभ करते हुए मा0 कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के विकास एवं उत्थान में समस्त सम्मानित सदस्यों के सक्रीय सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। मा0 कुलपति महोदय ने विचार व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के वर्तमान 'कार्यपरिषद' के समस्त सम्मानित सदस्यगण अपने–अपने क्षेत्र में विशेषता रखते हैं, अतः उनके बहुमूल्य योगदान से विश्वविद्यालय लाभान्वित होगा तथा निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

मा0 कुलपति महोदय के उक्त उद्‌बोधन के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0–01

कार्यपरिषद की द्वितीय एवं तृतीय (विशेष) बैठक के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि, कार्यवृत्तों की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2009 एवं तृतीय (विशेष) बैठक दिनांक 04 मार्च, 2010 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि की। कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि तृतीय (विशेष) बैठक में प्रश्नगत तीनों संस्थानों के स्वायत्तता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद के निर्णय पर महामहिम कुलाधिपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उन्हें संदर्भित किया गया है। कुलाधिपति, सचिवालय से इस सम्बन्ध में अभी अनुमोदन

.....2

प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यपरिषद के निर्णय पर महामहिम कुलाधिपति महोदया का अनुमोदन आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त अनुमोदन के पश्चात ही स्वायत्तता के सम्बन्ध में वांछित आदेश जारी किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में कुलाधिपति, सचिवालय को पुनः अनुस्मारक भेजे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

मद सं0–02

स्पोटर्स काउंसिल की प्रथम बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि, कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वविद्यालय द्वारा स्पोटर्स काउंसिल का गठन किया गया है। उक्त काउंसिल की प्रथम बैठक दिनांक 04–10–2010 को विश्वविद्यालय सभागार पर सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जिन बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया है, उनका कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्पोटर्स काउंसिल की प्रथम बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।

मद सं0–03

विश्वविद्यालय के लिए कुल 87 नियमित पदों के सृजन पर विचार :–

विश्वविद्यालय के लिए वर्तमान में 18 पद स्वीकृत हैं। विश्वविद्यालय की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न संवर्गों में कुल 87 नियमित पदों के सृजन का प्रस्ताव है। पदों का विस्तृत विवरण तैयार कर शासन को आवश्यक स्वीकृति जारी करने हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, जो वर्तमान में शासन के विचाराधीन है। अतः उक्त प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

विश्वविद्यालय द्वारा 87 नियमित पदों के सृजन हेतु शासन को भेजे गये प्रस्ताव से कार्यपरिषद अवगत हुई तथा परिषद ने उक्त 87 नियमित पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि उक्त प्रस्ताव 'वित्त समिति' के माध्यम से कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अतः उक्त 87 नियमित पदों के सृजन का प्रस्ताव 'वित्त समिति' की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय। परिषद को अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव वर्तमान में शासन के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

मद सं0–04

विश्वविद्यालय परिसर के लिए 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

ज्ञातब्य हो कि विश्वविद्यालय को वर्तमान में 23 एकड़ (8.372 हेक्टेअर) भूमि आवंटित है, जिस पर वर्तमान में प्रशासनिक भवन का निर्माण प्रगति पर है। विश्वविद्यालय को

.....3

उपलब्ध करायी गयी उक्त भूमि से लगी हुई और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 30 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को आवंटित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर के लिए उक्त अतिरिक्त भूमि की नितान्त आवश्यकता है, ताकि विश्वविद्यालय के आवश्यक भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि एक स्थान पर ही उपलब्ध हो सके। अतः प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय को 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव से अवगत हुई। कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही चल रही है। अतः कार्यपरिषद से सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

मद सं0–05

विश्वविद्यालय के एकेडमिक फैकल्टी ब्लॉक भवन के आंगणन के अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। एकेडमिक फैकल्टी ब्लॉक भवन के निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा रु0 4743.78 लाख मात्र का आंगणन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, अतः उक्त भवन के आंगणन का प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि उक्त प्रस्ताव 'वित्त समिति' के माध्यम से कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रस्ताव 'वित्त समिति' की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

मद सं0–06

विश्वविद्यालय के वर्तमान महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुद्धोवाला में परीक्षा उत्तरपुस्तिकाओं के रखरखाव हेतु दो तल (भूतल एवं प्रथम तल) के परीक्षा हाल के निर्माण पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा अपने वर्तमान पॉलिटेक्निक परिसर में परीक्षा उत्तरपुस्तिकाओं के रखरखाव हेतु दो तल के परीक्षा हाल के निर्माण का प्रस्ताव है। निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त दो तल के परीक्षा हाल के निर्माण हेतु रु0 89.24 लाख मात्र का आंगणन प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त हाल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। अतः उक्त दो तल के हाल के निर्माण का आंगणन परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई। 'कार्यपरिषद' ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि जी0बी0पी0ई0सी0, घुडदौड़ी, पौड़ी एवं के0ई0सी0 द्वाराहाट (अल्मोड़ा) की परीक्षा उत्तर–पुस्तिकाओं के रखरखाव की व्यवस्था उक्त संस्थानों में ही सुनिश्चित कर उक्त संस्थानों से ही उत्तर–पुस्तिकाओं का निस्तारण किया

.....4

जाय। विश्वविद्यालय का वर्तमान पॉलिटेक्निक परिसर अस्थायी परिसर है, अतः उक्त अस्थायी परिसर में परीक्षा हाल के निर्माण पर धन व्यय करना उचित नहीं है। उक्त परीक्षा हाल के निर्माण पर व्यय होने वाले धन का सदुपयोग विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में किया जाय।

मद सं0–07

विश्वविद्यालय द्वारा पर्वतीय परिसर (Hill Campus) की स्थापना पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा पर्वतीय परिसर की स्थापना का प्रस्ताव है। उक्त पर्वतीय परिसर में स्थानीय संसाधनों एवं स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। अतः प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में व्यापक रूपरेखा तैयार करते हुए विस्तृत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये, ताकि शासन द्वारा तद्नुसार आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

मद सं0–08

टी.एच.डी.सी. द्वारा स्थापित किये जा रहे इंजीनियरिंग कालेज को इस विश्वविद्यालय के संगठक कालेज (Constituent College) के रूप में सम्बद्ध करने पर विचार।

टी.एच.डी.सी. द्वारा स्थापित किये जो रहे इंजीनियरिंग कालेज को विश्वविद्यालय के संगठक कालेज (Constituent College) के रूप में सम्बद्ध किये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा टी.एच.डी.सी. में वार्ता एवं विचार–विमर्श चल रहा है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है कि इस कालेज को संगठक कालेज (Constituent College) के रूप में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय। अतः प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय, ताकि प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

मद सं0–09

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सुद्धोवाला में डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स को जोड़ते हुए महिला इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करते हुए 06/07 वर्षीय एकीकृत (Integrated) बी.टेक. पाठ्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार।

.....5

विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सुद्धोवाला में डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स को जोड़ते हुए महिला इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करते हुए 06/07 वर्षीय एकीकृत (Integrated) बी.टेक. पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सुद्धोवाला में अभी डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं। इसमें डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स को जोड़ते हुए महिला इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा सकती है। 'संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (डीम्ड विश्वविद्यालय), पंजाब' एवं 'नार्थन रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी (डीम्ड विश्वविद्यालय), अरूणाचल प्रदेश' में इसी प्रकार के 06/07 वर्षीय एकीकृत (Integrated) बी.टेक. पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जो ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये। शासन इस प्रकरण पर दृढ़ मत होकर स्वंय निर्णय लेगी। उक्त प्रस्ताव पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

मद सं0–10

विश्वविद्यालय में शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात विशेष कार्याधिकारियों की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।

विश्वविद्यालय में शासन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित 04 विशेष कार्याधिकारियों एवं 02 अन्य अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है :–

1. प्रो0 आर0के0सिंह, इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, के0ई0सी0 द्वाराहाट।
2. प्रो0 विजय जुयाल, फार्मेसी विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. श्री अवनीश जैन, उप निदेशक, तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता कार्यक्रम।
4. श्री एस0पी0सचान, उप निदेशक, तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता कार्यक्रम।
5. श्री आशीष उनियाल, एम0बी0ए0 विभाग, जी0बी0पी0ई0सी0, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।
6. श्री सत्य प्रकाश रावत, को–ऑर्डिनेटर, महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, देहरादून।

अतः उपरोक्त 04 विशेष कार्याधिकारियों एवं 02 अन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद तदर्थ व्यवस्था पर की गयी उक्त नियुक्तियों से अवगत हुई तथा कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के विनियम–परिनियम (परिनियमावली) अविलम्ब अंतिम रूप दिया जाय। इस प्रयोजन हेतु निम्नवत् एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया :–

.....6

1. अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रति कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय।
4. सयुंक्त सचिव (कार्मिक), उत्तराखण्ड शासन।
5. अनु सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

उक्त समिति प्रमुख सचिव (न्याय), उत्तराखण्ड शासन से सम्पर्क कर उनके निर्देशन में परिनियमावली को यथाशीघ्र अंतिम रूप देगी।

मद सं0–11

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 के अध्याय–5 की धारा–24(2) के अधीन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एवं फार्मेसी संस्थानों/कालेजों को सत्र 2009–10 के लिए कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त सम्बद्धता विस्तारण की सम्पुष्टि।

विश्वविद्यालय की संस्तुति पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुल 69 संस्थानों को कुलाधिपति सचिवालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2009–10 के लिए सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	स्वीकृत आदेश	दिनांक	कुल संस्थान
01	सं0–3809/जी0एस0/शिक्षा–154/सम्बद्धता/2006	18–03–10	फार्मेसी–19
02	सं0–3811/जी0एस0/शिक्षा–154/सम्बद्धता/2006	18–03–10	एम0सी0ए0–18
03	सं0–3810/जी0एस0/शिक्षा–154/सम्बद्धता/2006	18–03–10	मैनेजमेंट–39
04	सं0–3812/जी0एस0/शिक्षा–154/सम्बद्धता/2006	18–03–10	इंजीनियरिंग–26

अतः उपरोक्त सम्बद्धता स्वीकृति आदेश कार्यपरिषद की सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत हैं।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद उक्त सम्बद्धता स्वीकृतियों से अवगत हुई तथा परिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त सम्बद्धता स्वीकृतियों की सम्पुष्टि की।

मद सं0–12

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तकनीकी, मैनेजमेंट एवं फार्मेसी संस्थानों की सम्बद्धता विस्तारीकरण पर विचार।

विश्वविद्यालय से वर्तमान में 69 संस्थान सम्बद्ध है। इन संस्थानों की सम्बद्धता दिनांक 30 जून, 2010 को समाप्त हो गयी है तथा अब इनके सम्बद्धता विस्तारण पर विचार किया जाना है। इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता विस्तारण हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन कर संस्थानों का निरीक्षण कराया जा रहा है। जैसे–जैसे संस्थानों की निरीक्षण आख्याएं प्राप्त होती जायेंगी, वैसे–वैसे संस्थानों के सम्बद्धता विस्तारण के प्रकरण शासन के आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जायेंगे। संस्थानों के सम्बद्धता विस्तारण हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव है :–

.....7

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों/संस्थानों को स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान की जाय।
2. ऐसे स्ववित्त पोषित संस्थान, जिनकी स्थापना हुए पांच वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा जिनकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के साथ–साथ संस्थान का रिकार्ड उत्तम/संतोषजनक है एवं जिनके विरूद्ध कोई गंभीर शिकायतें लम्बित नहीं हैं, उनको आगामी पांच वर्षों के लिए सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति प्रदान की जाय तथा वित्तीय दृष्टिकोण यथावत रहे।
3. ऐसे स्ववित्त पोषित संस्थान, जिनकी स्थापना हुए तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा जिनकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के साथ–साथ संस्थान का रिकार्ड उत्तम/संतोषजनक है एवं जिनके विरूद्ध कोई गंभीर शिकायतें लम्बित नहीं हैं, उनको आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति प्रदान की जाय।
4. ऐसे स्ववित्त पोषित संस्थान, जिनकी स्थापना हुए तीन वर्ष से कम का समय हुआ है, उन्हें प्रतिवर्ष सम्बद्धता का विस्तारण प्रदान किया जाय।

उक्त सम्बद्धता प्रतिवर्ष ए.आई.सी.टी.ई. की मान्यता पर निर्भर करेगी तथा किसी भी संस्थान के विरूद्ध गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर मान्यता वापस लिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। प्रत्येक संस्थान को नियमानुसार प्रत्येक वर्ष सम्बद्धता शुल्क यथावत् सत्र प्रारम्भ होते ही दिनांक 31 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य होगा। अतः उक्त प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई। परिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा परिषद ने निर्देशित किया कि सम्बद्धता सम्बन्धी ए.आई.सी.टी.ई. एवं शासन के नियमों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। जो भी संस्थान उक्त नियमों/प्राविधानों की अवहेलना करेगा, उसकी सम्बद्धता किसी भी स्तर पर वापस ली जा सकेगी। प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वर्ष सम्बद्धता शुल्क यथावत् विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

मद सं0–13

विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर विचार।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 की अधिसूचना सं0 18/XXXVI(3)/2010/87(1)/2009 दिनांक 06 जनवरी, 2010 में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित संस्थानों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त आधार पर विश्वविद्यालय को वर्तमान सत्र 2010–11 के लिए विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कुल 54 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनका विधिवत् निरीक्षण कराकर सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव शासन/कुलाधिपति सचिवालय के विचारार्थ उपलब्ध कराये गये हैं। ऐसे समस्त संस्थानों की सूची संलग्न हैं। उक्त प्रस्ताव में से अभी तक निम्नलिखित 09 संस्थानों को सम्बद्धता की स्वीकृति कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त हो चुकी है :–

.....8

1. दून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून।
2. गुरूनानक एजूकेशन ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन्स (हरमिश कालेज), रूड़की।
3. विद्या विकासिनी डिग्री कालेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, गुरूकुल नारसन, हरिद्वार।
4. इसरत डिग्री कालेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, मंगलौर, रूड़की।
5. बी0एफ0आई0टी0 इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड रिसर्च, सुद्धोवाला, देहरादून।
6. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, चकराता रोड, देहरादून।
7. श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून।
8. एस0पी0 मेमोरियल कालेज ऑफ एडवान्स स्टडीज भगतियाना, श्रीनगर।
9. क्वाण्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, रूड़की।

अभी 45 संस्थानों के प्रस्ताव विश्वविद्यालय, शासन एवं कुलाधिपति सचिवालय स्तर पर विचाराधीन हैं। अतः प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा परिषद ने अब तक प्राप्त व्यवसायिक संस्थानों की सम्बद्धता स्वीकृतियों की सम्पुष्टि की। परिषद ने निर्देशित किया कि भविष्य में सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्तावों के लिए एक समय–सारणी बना ली जाय तथा उसी के अनुरूप सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्तावों का निस्तारण किया जाय। परिषद के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया कि महामहिम कुलाधिपति महोदया ने सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्ताव अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त होने पर असंतोष व्यक्त किया है। अतः भविष्य में सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्तावों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाय।

मद सं0–14

विश्वविद्यालय के द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' के आयोजन पर विचार।

विश्वविद्यालय के द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' का आयोजन माह दिसम्बर, 2010 के प्रथम सप्ताह में कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' का बजट विश्वविद्यालय की वित्त समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। अतः विश्वविद्यालय के द्वितीय 'दीक्षान्त समारोह' के आयोजन सम्बन्धी प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

मद सं0–15

विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में आवासीय ब्लॉक भवन के निर्माण पर विचार :–

.....9

विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में आवासीय ब्लॉक भवन का निर्माण कराया जाना है। उक्त आवासीय ब्लॉक भवन पर होने वाले व्यय का आंगणन निर्माण एजेंसी से प्राप्त किया जा रहा है। अतः प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि उक्त प्रस्ताव 'वित्त समिति' के माध्यम से कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रस्ताव 'वित्त समिति' की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

मद सं0–16

दिल्ली में विश्वविद्यालय का एक अतिथि गृह किराये पर लिये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रायः विश्वविद्यालय को कार्यों से यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा ए0आई0यू0 जाना होता है। विश्वविद्यालय उक्त संस्थाओं से सम्बन्धित कार्यों के सुगम सम्पादन हेतु दिल्ली में विश्वविद्यालय का एक अतिथि गृह किराये पर स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। अतः विश्वविद्यालय का एक अतिथि गृह दिल्ली में किराये पर लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय हेतु अतिथि गृह किराये पर लिया जाना आवश्यक एवं उपयोगी नहीं है। परिषद के संज्ञान में लाया गया कि नोएडा में गढ़वाल मण्डल विकास निगम का नया गेस्ट हाऊस बन रहा है, अतः आवश्यतानुसार वहां पर कक्ष आरक्षित कर सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

मद सं0–17

विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रिया–कलापों एवं गतिविधियों के सफल संचालन हेतु एक बस (लगभग 42 सीट) क्रय करने पर विचार।

विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रिया–कलापों एवं गतिविधियों के सफल संचालन हेतु एक बस की आवश्यकता पिछले काफी समय से महसूस की जा रही है। विश्वविद्यालय का कार्यालय शहर से काफी दूरी पर स्थित है, जिस कारण विश्वविद्यालय स्टाफ को भी आने–जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समुचित धनराशि प्रतिमाह किराये के रूप में निर्धारित कर विश्वविद्यालय स्टाफ के लिए भी उक्त बस का उपयोग किया जा सकता है। अतः प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि उक्त प्रस्ताव 'वित्त समिति' के माध्यम से कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परिषद ने निर्देशित किया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय हेतु बस क्रय किया जाना आवश्यक एवं उपयोगी नहीं है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पास पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनसे बसें किराये पर ली जा सकती है।

.....10

मद सं0–18

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना सं0–एफ. 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 के क्रियान्वयन पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना सं0– एफ. 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सेवा शर्तों में विस्तृत अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना यू.जी.सी. रेग्यूलेशन–2010 clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section-26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and के अधीन अधिसूचित की गयी है तथा इनको पूर्णतः (संयुक्त रूप में) लागू करना विश्वविद्यालय की संवैधानिक अनिवार्यता है। अतः प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः–

कार्यपरिषद उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्देशित किया कि उक्त यू0जी0सी0 रेग्यूलेशन के अधिकांश प्राविधानों को राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है।

मद सं0–19

विश्वविद्यालय के भवन निर्माण समिति के गठन पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परिसर को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में विकसित किये जाने हेतु एक भवन निर्माण समिति का गठन किया जाना अति आवश्यक है। उक्त भवन निर्माण समिति का गठन निम्नवत् प्रस्तावित है :–

1.	प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड	–	विशेषज्ञ
3.	मुख्य अभियन्ता, पावर कार्पोरेशन	–	विशेषज्ञ
4.	प्राचार्य, जी0सी0ए0 लखनऊ (उ0प्र0)	–	विशेषज्ञ
5.	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग, आई0आई0टी0 रूड़की अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	विशेषज्ञ
6.	वित्त नियंत्रक	–	सदस्य
7.	कुलसचिव	–	सचिव

उक्त भवन निर्माण समिति समय–समय पर विश्वविद्यालय को भवन निर्माण एवं नियोजन के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करेगी। अतः प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चयः–

कार्यपरिषद उक्त प्रस्ताव से अवगत हुई तथा कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भवन निर्माण समिति की अलग से गठन किये जाने की

.....11

आवश्यकता नहीं है। समय–समय पर आवश्यकतानुसार कुलपति विशेषज्ञों को बुलाकर उनका परामर्श प्राप्त कर उचित निर्णय लेने हेतु स्वंय सक्षम है।

मद सं0 20

वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–221/XXVII(6)/2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 द्वारा नियुक्त श्री प्रमोद कुमार जोशी को कार्यालय ज्ञाप सं0–417/XXVII(6)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के रूप में अतिरिक्त कार्य भार दिये जाने की सम्पुष्टि।

वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–221/XXVII(6)/2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 द्वारा नियुक्त श्री प्रमोद कुमार जोशी को कार्यालय ज्ञाप सं0–417/ XXVII(6)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अतः प्रकरण परिषद के सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद उक्त नियुक्ति से अवगत हुई तथा कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की सम्पुष्टि की।

मद सं0–21

विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो0 एच0सी0 नैनवाल के कार्यकाल विस्तारण पर विचार।

विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो0 एच0सी0 नैनवाल का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को समाप्त हो रहा है। प्रो0 एच0सी0 नैनवाल के कार्यानुभव एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय हित में उनका कार्यकाल का विस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः तद्नुसार प्रकरण परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रति कुलपति प्रो0 एच0सी0 नैनवाल के कार्यकाल विस्तारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की संस्तुति आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

अन्य मद

विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 की धारा–21(1) से (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परीक्षा समिति का गठन किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा समिति के गठन का प्रस्तावं परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–

कार्यपरिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावित परीक्षा समिति के गठन का अनुमोदन किया। परिषद ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र नियमित न होने के कारण प्रवेश की समय–सीमा निर्धारित करने में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत

.....12

रखते हुए शासन को महामहिम कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में एक High Power Co-ordination Committee गठित करने का प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया। उक्त कमेटी में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति सम्मिलित होंगे, ताकि परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु सामुहिक निर्णय लिया जा सके।

अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(चन्द्र सिंह मेहता)
कुलसचिव / सचिव

(प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान)
कुलपति / अध्यक्ष